HINDI

# Commonwealth Ombudsman

# कॉमेनवैल्थ ओमबड्ज़्मैन

कॉमेनवैल्थ ओमबड्ज़्मैन (सरकारी विभागों के विरूद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए नियुक्त लोकपाल) एक स्वतन्त्र व्यक्ति है जो आस्ट्रेलिया के सरकारी विभागों के विरूद्ध की गईं शिकायतों की जाँच-पड़ताल करता है।

## ओमबड्ज़्मैन की ज़िम्मेदारियाँ

ओमबड्ज़्मैन आस्ट्रेलिया की अधिकतर सरकारी एजेन्सिओं से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल कर सकता है जिनमें सैन्टरलिंक, कर विभाग, शिशु सहायता एजेन्सी (Child Support Agency), आप्रवास विभाग (Immigration Department) तथा डाक विभाग (Australia Post) शामिल हैं।

ओमबड्ज़्मैन यह निर्णय लेता है कि कोई भी पारित कानून अथवा समाधान गलत, मनमाना, न्यायहीन या पक्षपाती हैं या नहीं। उसके उपर इसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वह प्रशासनिक कार्यवाही न होने या उसमें विलम्ब होने की जाँच-पड़ताल करे।

परन्तु, ओमबड्ज़्मैन किसी निजि व्यक्ति या ग़ैर-सरकारी कम्पनी, अदालतों के फ़ैसलों, राजकीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा पारित कानून अथवा समाधानों, सरकारी मंत्रियों तथा कुछ सरकारी व्यापारिक उद्यमों से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल नहीं कर सकता है।

ओमबड्ज़्मैन सदैव निष्पक्ष होता है और एक न्यायसंगत परिणाम पर पहुँचने के प्रति वचनबद्ध होता है।

ओमबड्ज़्मैन सरकारी प्रशासन में सुधार लाने के लिए कदम उठाता है जिससे समस्याएं दुबारा न खड़ी हों।

## ओमबड्ज़्मैन के अधिकार

ओमबड्ज़्मैन को शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने संबंधी विस्तृत अधिकार हैं जिनमें अधिकारियों को कागज़ात पेश करने व प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देना शामिल है।

ओमबड्ज़्मैन यदि किसी प्रशासनिक कार्यवाही में त्रुटी पाता है तो वह उसके लिए ज़िम्मेदार एजेन्सी को उस त्रुटी को सुधारने अथवा कोई अन्य उपचार प्रदान करने के लिए सिफ़ारिश कर सकता है।

उदाहरण के लिए, वह सिफ़ारिश कर सकता है कि एजेन्सी स्पष्टीकरण दे या क्षमा-याचना करे, नियम को लागू करे अन्यथा उसमें संशोधन करे, कर्ज़ माफ़ करे या मुआवज़ा दे।

## शिकायत कैसे करें

ओमबड्ज़्मैन कार्यालय से संपर्क करने से पहले आपको उस एजेन्सी जिससे आपको शिकायत है, विशेषकर यदि उनके पास शिकायत सेवा उपलब्ध हो तो, उनसे मिल कर समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप किसी निर्णय से संबंधित शिकायत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, यदि हो सके तो, उस निर्णय पर पुनर्विचार करवाना चाहिए।